



भवन मानचित्र समिति-(ले-आउट प्लान) की 7/2021 वीं बैठक दिनांक 09.09.2021 का कार्यवाही विवरण (संशोधित):-

भवन मानचित्र समिति-(ले-आउट प्लान) की 7/2021 वीं बैठक दिनांक 09.09.2021 के क्रम में जारी कार्यवाही विवरण के प्रस्ताव संख्या 1 में लिये गये निर्णय के बिन्दु संख्या 3 में सहवन से "कृषि भूमि की डी.एल.सी दर" से राशि के स्थान पर "आवासीय आरक्षित" दर से राशि जमा कराने हेतु अंकित हो गया जिसे अब "आवासीय आरक्षित" के स्थान पर कृषि भूमि की डी.एल.सी दर पढ़ा जावे व नगरीय विकास विभाग के आदेश में दिनांक 12.01.2018 अंकित हो गया जिसे अब 12.04.2018 पढ़ा जावे ।


निदेशक (आयोजना)
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

क्रमांक : अ.वि.प्रा./प.3/नि.शा/2021/D-497-501 दिनांक : 21-9-2021
प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
4. उपायुक्त (उत्तर/दक्षिण/किशनगढ़/पुष्कर) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. रक्षित पत्रावली।


उपनगर नियोजक
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर



अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर



भवन मानचित्र समिति-(ले-आउट प्लान) की 7/2021 वीं बैठक दिनांक 09.09.2021 का कार्यवाही विवरण :-

भवन मानचित्र समिति-(ले-आउट प्लान) की 7/2021 वीं बैठक दिनांक 09.09.2021 को आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में उनके कक्ष में प्रातः 11.00 बजे आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगणों व अधिकारियों द्वारा भाग लिया गया :-

1. सचिव, श्री किशोर कुमार, अजमेर विकास प्राधिकरण
2. उपायुक्त उत्तर, श्री अशोक चौधरी, अजमेर विकास प्राधिकरण
3. उपायुक्त दक्षिण, श्रीमति सुनीता यादव, अजमेर विकास प्राधिकरण
4. निदेशक आयोजना, श्री पुनीत शर्मा, अजमेर विकास प्राधिकरण
5. उप नगर नियोजक, सुश्री मीनाक्षी वर्मा, अजमेर विकास प्राधिकरण

सदस्य सचिव द्वारा समस्त सदस्यों को बैठक के एजेण्डा की प्रतियां उपलब्ध करवायी गयी। बैठक में अजमेर विकास प्राधिकरण को प्राप्त पत्रावलियों से संबंधित 2 एजेण्डा बिन्दुओं पर चर्चा कर समिति द्वारा निर्णय लिया गया जो की निम्न प्रकार से है -

प्रस्ताव संख्या-1

श्री कमल किशोर बाकोलिया पुत्र श्री हरी चन्द जाटिया राजस्व राजस्व ग्राम-सुरजकुण्ड खसरा नं. 1237, 1238/1738 क्षेत्रफल 01.81 हैक्टेयर भूमि का पर्यटन ईकाई (रिसॉर्ट) प्रयोजनार्थ।

विवरण:- प्रश्नगत भूखण्ड के खसरा नं. 1237, 1238/1738 कुल क्षेत्रफल 01.81 हैक्टेयर भूमि का पर्यटन ईकाई (रिसॉर्ट) प्रयोजनार्थ 90-क के आदेश दिनांक 12.08.2021 को प्राधिकृत अधिकारी (जोन दक्षिण) द्वारा जारी किये जा चुके हैं। आवेदित भूमि पूर्व में जारी ले-आउट प्लान की 60 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत साईट प्लान के अनुसार कुल क्षेत्रफल 18100.15 व.मी. में से 834.29 व.मी. भूमि सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़े जाने के पश्चात् शेष भूमि 17265.86 व.मी. रहती है। उक्त सर्वे प्लान कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रमाणित किया गया है। इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा प्रस्तुत खसरा सुपरइम्पोजिशन संबंधित पटवारी द्वारा प्रमाणित किया गया है।

अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थल मानचित्र निम्न शर्तों के साथ अनुमोदित किया जाना प्रस्तावित है :-

1. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.1(21)नविवि/अविप्रा/2021 दिनांक 03.08.2021 में जारी स्वीकृति अनुसार सड़क की मध्य रेखा से 9 मीटर भूमि (834.29 व.मी.) सड़क मार्गाधिकार हेतु आरक्षित रखी जानी होगी एवं सड़क मार्गाधिकार में आ रही आवेदक की भूमि, आवेदक द्वारा निःशुल्क समर्पित की जानी होगी एवं उक्त समर्पित भूमि पर प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जावेगा।

आजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

2. आवेदित भूमि पर सैटबैक, आच्छादित क्षेत्र, ऊंचाई आदि तकनीकी मापदण्ड भवन विनियम-2020 के अनुसार रखे जाने होंगे तथा निर्माण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व राक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त की जानी होगी।

3. आवेदक द्वारा एकल भूखण्ड के रूप में आवेदन किया गया है। अतः नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 12.01.2018 के अनुसार एकल पट्टा प्रकरण में 5 प्रतिशत भूमि की आवासीय आरक्षित दर से राशि जमा करवायी जानी होगी।

4. उचित पत्रावली अनुसार प्रश्नगत भूमि पर आंशिक निर्माण है जो कि रिपोर्ट अनुसार सैटबैक क्षेत्र में नहीं है। उक्त बाबत साईट प्लान जारी किये जाने से पूर्व पुनः सुनिश्चितता किया जाना अपेक्षित है। अतः प्रकरण ले-आउट प्लान समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर उक्त भूखण्ड के दक्षिण की ओर स्थित सड़क के मार्गधिकार को सड़क की निरन्तरता में अनुमोदित अन्य प्रकरण अनुसार 80 फीट कायम करते हुए एवं प्रस्ताव में वर्णित अन्य शर्तों की सुनिश्चितता करवाते हुए सर्वसहमति से साईट प्लान अनुमोदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या-2

कोटड़ा आवासीय योजना में व्यवसायिक प्रयोजनार्थ आरक्षित भूमि पर विस्तृत योजना के अनुमोदन बाबत।

विवरण:- इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड (अजमेर मण्डल कार्यालय) अजमेर को रिफ्यूल आरटलेट (पैट्रोलेमम) हेतु भूमि आवंटन के सम्बन्ध में नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा पत्र क्रमांक ए.1(16)विवि/अविप्रा/2021 दिनांक 02.09.2021 प्राप्त हुआ जिसके क्रम में बिन्दु संख्या 5 में प्रस्तावित स्थल से 50 मीटर का बफर की उपलब्धता रखवायी जाने की सुनिश्चितता के सम्बन्ध में लिखनी चाही गयी है। जिसके क्रम में लेख है कि IOC के द्वारा उक्त भूमि के आवंटन हेतु आवेदन किया गया है। लेकिन यह भूमि (Commercial) kotra residential Scheme का भाग है। नगरीय विकास विभाग के प्राप्त पत्र के क्रम में 50 मीटर बफर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा वैकल्पिक भूमि का विकल्प आवंटन हेतु भिजवाये जाने हेतु लिखा गया है। आवंटन हेतु प्रस्तावित भूखण्ड के समीप ही योजना में ग्रुप हाउसिंग हेतु भूखण्ड प्रस्तावित है तथा उत्तर में शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूखण्ड है। उक्त स्थिति में प्रस्तावित स्थल में 50 मीटर का बफर उपलब्ध नहीं होता है तथा उक्त स्थिति में NGA के नये नियमों एवं प्रावधानों की पालना नहीं होती है। अतः वैकल्पिक भूमि हेतु प्रस्ताव विधे जाने बाबत प्रार्थी को सूचित किया जावे ताकि अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार पुनः विचार कर अन्य स्थान पर भूमि आवंटन हेतु कार्यवाही की जा सके। अतः प्रकरण व योजना के संदर्भ में वर्मा अनुसार पैट्रोलेमम हेतु आरक्षित उक्त स्थल को प्रस्ताव प्राप्त होने पर वैकल्पिक स्थान पर प्रस्तावित करते हुए योजना के भाग पर मूल स्वरूप अनुसार आवासीय कम व्यावसायिक भूखण्ड सृजित करते हुए योजना प्रस्तावित की गयी है। प्राधिकरण की कोटड़ा आवासीय योजना में व्यवसायिक क्षेत्र हेतु भूमि 4000 वर्ग मी क्षेत्रफल आरक्षित है। जिस पर 26 व्यवसायिक मय आवासीय भूखण्ड पर लगभग 30 मीटर X 6 मीटर के भूखण्ड सृजित किये गये हैं। साथ ही इन भूखण्डों के लिये पार्किंग का प्रावधान भी भूखण्ड के आगे के भाग में रखा गया है। उक्त भूमि के दक्षिण पूर्व दिशा में 30 मीटर चौड़ी सड़क व उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम दिशा में 12 मीटर चौड़ी सड़क स्थित है। अतः योजना मानचित्र समिति के

समक्ष अवलोकनार्थ व विचारार्थ प्रस्तुत है। अतः प्रकरण ले-आउट प्लान समिति के समक्ष अवलोकनार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय :- समिति द्वारा प्रकरण में विचार विमर्श कर सर्वसहमति से प्रस्तावित योजना का अनुमोदन किया गया तथा पेट्रोलपम्प हेतु चयनित स्थल को निरस्त करते हुए वैकल्पिक प्रस्ताव प्राप्त किये जाने हेतु संबंधित संस्था को सूचित किये जाने का निर्णय लिया गया।

यह बैठक कार्यवाही विवरण श्रीमान आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित है।

9/9/2021

निदेशक (आयोजना)
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर

क्रमांक : अ.वि.प्रा./प.3/नि.शा/2021/D-456-462 दिनांक : 9-9-2021
प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त महोदय, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
3. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
4. उपायुक्त (उत्तर/दक्षिण/किशनगढ़/पुष्कर) अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर।
5. रक्षित पत्रावली।

उपनगर नियोजक
अजमेर विकास प्राधिकरण,
अजमेर